Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारतीय कानूनो के परिपेक्ष्य मे समलैंगिक विवाह का एक विश्लेणात्मक अध्ययन

प्रो. विनोद तिवारी* डॉ. फेमिनाज अख्तर खान**

* सहायक प्राध्यापक, एम बी खालसा लॉ कालेज, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक, एम बी खालसा लॉ कालेज, इन्दौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – समाज चाहे समकालीन हो या पूर्व कालीक दोनो प्रकार के समाजो में विवाह को हमेशा एक पवित्र संस्था के रूप में देखा गया है। जिसका हर व्यक्ति अपने जीवनकाल में हिस्सा बनने की इच्छा रखता है। विवाह विशेष रूप से भारत में एक पवित्र अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है जिसे दो व्यक्तियों के बीच सबसे सुन्दर बंधन माना जाता है। विवाह को 'पति या पत्नी होने की स्थिति' के रूप मे वर्णित किया गया है। एक दूसरे से विवाहित दो व्यक्तियों के बीच कानूनी संबंधों को मान्यता दी गई है।

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार विवाह एक पवित्र संस्था है जिसे केवल एक पुरूष ओर एक महिला के बीच मिलन के रूप मान्यता प्राप्त है। उनका तर्क है कि समलैंगिक संबंध पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों और विवाह संस्था का विस्तार करके उसे कमजोर कर देगे विवाह की परिभाषा में बच्चे पैदा करना और उनका पालन पोषण करना शामिल है।

समय के साथ इस अवधारणा के विकास के रास्ते में आने वाली मुख्य बाधाएँ धीरे–धीरे दूर हो गयी एक संस्था के रूप मे विवाह का विचार समय के साथ बदल गया वर्तमान समय में 'सहवास' शब्द का उपयोग अक्सर विवाह को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिसका अर्थ है कि सहवास का कार्य जब एक जोडे द्वारा अभ्यास किया जाता है तो दो व्यक्तियों कि बीच वैवाहिक स्थिति की बुनियादी वैधता को साबित करने के लिए साबित होना चाहिए।

हालार्कि जब समानता का विचार लागू किया जाता है तो ऐसी समसमायिक धारणा इतना उत्साह पूर्ण पहलू होने के बावजूद स्थिर रहती है एलजीबीटीक्यूए का समुदाय समलैंगिक विवाह की वैधता के बारे मे संघर्ष कर रहा है ओर बहुत चिंचित है और अपनी पंसद के अनुसार किसी व्यक्ति से शादी करने के अपनी बुनियादी मौलिक अधिकार के लिए लड रहा है और भारतीय कानून के तहत विवाह की वैधता हासिल करने का प्रयास कर रहा है।

शब्द कुंजी – समलैंगिकता,समलैंगिक विवाह, वैधीकरण, एलजीबीटीक्यू आर्थात लेसबियन,गे,बाईसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वियर, अपराधिकरण, यौन व्यवहार।

अनुसंधान क्रियाविधि – यह पेपर वर्णानात्मक प्रकृति का है और शोध समलैंगिक जोड़ों के भारतीय कानूनों के अनुसार विवाह संपन्न करने के अधिकार और भारतीय संविधान द्वारा उन्हें दिए गए उनके बुनियादी मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के गहन विश्लेषण के माध्यमिक स्त्रोतों पर आधारित है। इस शोध के लिए समाचार पत्रों पत्रिकाओं और वेबसाइटों जैसे सूचना के माध्यमिक स्त्रोंतों का उपयोग किया गया है।

परिचय – हाल के वर्षो में दुनिया ने विशेष रूप से एलजीबीटीक्यू अधिकारों में महत्वपूर्ण प्रगति देखी समलैंगिकता विवाहों की मान्यताओं एवं स्वीकृति में कुछ देशों ने उल्लेखनीय प्रगति की है एलजीबीटीक्यू अधिकारों की रक्षा के लिए भारत में स्थिति बहस और विवाद का विषय बनी हुई है। यह शोध पत्र भारत में समलैंगिक विवाह की यात्रा और इसके वैश्विक संदर्भ की पड़ताल करता है। इस शोध पत्र का उद्देश्य एलजीबीटीक्यू समुदाय के अधिकारों का विकास एवं समलैंगिकता को अपराध मुक्त करने का प्रयास करने का समलैंगिक संघों को कानूनी मान्यताओं का अध्ययन करना है

वैश्विक परिप्रेक्ष्य से पता चलता है कि कई देशों ने ऐतिहासिक निर्णयों के साथ समलैंगिक विवाह को वैध बनाकर महत्वपूर्ण मिसाल कायम की है। हालार्कि अभी भी कानूनी चुनौतियां बनी हुई है। कैलिफ़ोर्निया पहला राज्य था जिसने अपने घरेलू स्तर पर समान लिंग वाले जोडों को मान्यता देने के लिए राज्यव्यापी प्रक्रिया लागू की । और कुछ लाभ प्रदान किए है, जैसे घरेलू साझेदारी द्वारा मृत साथी की संपति के निपटान की व्यवस्था की हालार्कि भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी गई है जैसे कि भारतीय कानून में विवाह को एक पुरूष और महिला के बीच एक मिलन के रूप में परिभाषित करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 मे सन् 2018 के पुर्व तक समलैंगिकता को एक अपराध माना गया था। 2018 में नवतेजसिंह जौहर एवं अन्य बनाम भारत संघ और न्याय मंत्रालय के मामले में सर्वोच्य न्यायलय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुये समलैंगिक यौन संबंध सहित वयस्कों के बीच सहमति से यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया।

वर्तमान मे लोगों द्वारा समलैंगिक संघों का वैध बनाने का समर्थन किया जा रहा है, लोग ऐसा महसूस करते है कि लोगों को उनके यौन रूझान के आधार पर शादी करने के अधिकार से वंचित करना उनकी बुनियादी स्वतंत्रता का उल्लंघन है और अधिकार एवं प्रावधान के लिए कई औचित पेश करते हैं। सभी के लिए समान अधिकार और सुरक्षा यौन रूझान की परवाह किए बिना समान लिंग सघों के वैधीकरण के परिणाम स्वरूप योगदान

होगा।

जो लोग समलैंगिक विवाह का विरोध करते है उनका तर्क है कि विवाह एक पवित्र अनुष्ठान है जो कि एक स्त्री और पुरूष के बीच एक पवित्र बंधन का निर्माण करता है। जबकि समलैंगिक विवाह, विवाह की पवित्रता को भंग करता है और यह समाज के हित में नहीं है।

अन्तर्राष्टीय परिप्रेक्ष्य – अधिकांश देशों ने व्यक्तिगत स्तर पर एलजीबीटीक्यू लोगों के अधिकारों पर सीमाएं लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से इस विषय पर कोई विशेष संधि नही हुई है, किन्तु कई गतिविधियों के माध्यम से समलैंगिक समुदाय के प्रति कलंक और अंतर्निहित पूर्वाग्रह को समाप्त करने मे सफलता मिली है सिविल यूनियन उस कानून स्थिति को संदर्भित करता है जो समान–लिंग वाले जोड़ों को विशिष्ट अधिकार और जिम्मेदारियां प्रदान करती है जो आम तौर पर विवाहित जोड़ों को प्रदान की जाती हैं। हालाँकि एक नागरिक संघ एक विवाह जैसा दिखता है लेकिन पर्सनल लॉ में इसे विवाह के समान मान्यता नही हैं।

भारत में समलैंगिकता विवाह की वैधता – विवाह करने के अधिकार को भारतीय संविधान के तहत मौलिक संवैधानिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है बल्कि यह एक वैधानिक अधिकार है। हालांकि विवाह को विभिन्न वैधानिक अधिनियमों के माध्यम से विनियमित किया जाता है लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में इसकि मान्यता केवल भारत के सर्वोच्च न्यायलय न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई कानून की ऐसी घोषणा संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत पूरे भारत में सभी अदालतों पर बाध्यकारी है।

समलैंगिक विवाह पर 2018 के पुर्व न्यायिक दृष्टिकोण

शफीन जहां बनाम अशोकन के. एम. और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायलय ने मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 16 और पुट्टास्वामी मामले का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपनी पंसद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 में प्रावधान है कि केवल धर्म मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमे से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

विवाह का अधिकार उस स्वतंत्रता में अंतनिर्हित है जिसे संविधान एक मौलिक अधिकार के रूप में गांरटी देता है, विश्वास और विश्वास के मामले जिसमे विश्वास करना भी शामिल है संवैधानिक स्वतंत्रता के मूल में है।

समलैंगिक विवाह पर 2018 के पश्चात न्यायिक दृष्टिकोण– विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए एक विधेयक 20 अप्रैल को लोकसभा लाया गया था 2022 राष्ट्रवादी काग्रेस पार्टी की संसद सदस्य सुप्रिया सुले द्वारा समान लिंग वाले जोडे देने के लिए विपरीत लिंगी जोंडो के समान कानूनी सुरक्षा प्रस्ताव कानून के कई प्रावधानों को बदल देगा समान लिंग विवाह को वैध बनाने वाले एकीकृत नागरिक संहिता का एक मसौदा 2017 में जारी किया गया था विवाह को ' एक पुरूष का एक महिला के साथ इस अधिनियम के तहत निर्धारित कानूनी 'मिलन' के रूप में वर्णित किया गया था

एक अन्य पुरूष के साथ किसी अन्य महिला के साथ एक ट्रांसजेंडर के साथ या एक ट्रांसजेंडर किसी अन्य ट्रांसजेंडर के साथ प्रस्तावित कोड में 'पुरूष या महिला'। हालांकि नवम्बर 2022 में भारत का सर्वोच्च न्यायलय एक ऐसे मामले की सुनवाई के लिए सहमत हुआ जो संमलैंगिक संबंधो को वैध बना सकता है यह मामला भारत के सर्वोच्च न्यायलय द्वारा नौ मामलो को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिकाओ पर सुनवाई के बाद शुरू होगा पहले से ही दिल्ली उच्च न्यायलय और केरल उच्च न्यायलय के समक्ष लंबित है जो इस मुददे से निपटते है विशेष कर पिछले दस वर्षो दौरान सर्वोच्च न्यायलय ने कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाये जिससे इसे स्वीकार करने का रास्ता साफ होता है

भारत संघ बनाम नालसा – सुरेश कुमार कौशल बनाम भारत संघ में निंदित फैसले के बाद यह मामला लाया गया। उच्चतम न्यायलय ने नाज फाउंडेशन में धारा 377 को अपराध की श्रेणी से हटाकर सुरेश कुमार पर आपराधित दंड बहाल कर दिया में ट्रांसजेंडर आबादी के अधिकारो को आगे बढाने के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पहल कि इस फैसले के मुताबित ट्रांसजेंडर लोग तीसरे लिंग के होते है निर्णय ट्रांसजेंडर आबादी की स्वतत्रता ओर अधिकारो की रक्षा के लिए नियमो का एक संपूर्ण सेट स्थापित किया गया। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारो का संरक्षण अधिनियम 2019 लंबी चर्चा और कई प्रस्तावित परिणाम है बिल 2019 में प्ररित किया गया।

भारत संघ बनाम न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी – इस फैसले के अनुसार वैवाहिक कानून स्थापित करने वाला भारतीय विधान इस फैसले के अनुसार जिसने निजता के अधिकार को जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के एक घटक के रूप में मान्यता दी।

विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए एक विधेयक 20 अप्रैल को लोकसभा में लाया गया था। 2022 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की संसद सदस्य सुप्रिया सुले द्वारा। समान–लिंग वाले जोड़े देने के लिए विपरीत–लिंगी जोड़ों के समान कानूनी सुरक्षा प्रस्ताव कानून के कई प्रावधानों को बदल देगा। समान–लिंग विवाह को वैध बनाने वाले एकीकृत नागरिक संहिता का एक मसौदा 2017 में जारी किया गया था। विवाह को 'एक पुरुष का एक महिला के साथ इस अधिनियम के तहत निर्धारित कानूनी मिलन' के रूप में वर्णित किया गया था।

एक अन्य पुरुष के साथ एक महिला किसी अन्य महिला के साथ एक ट्रांसजेंडर दूसरे ट्रांसजेंडर के साथ या एक ट्रांसजेंडर किसी अन्य ट्रांसजेंडर के साथ प्रस्तावित कोड में 'पुरुष या महिला'। हालाँकि नवंबर 2022 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसे मामले की सुनवाई के लिए सहमत हुआ जो समलैंगिक संबंधों को वैध बना सकता है भारत में। यह मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नौ मामलों को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद शुरू होगा पहले से ही दिल्ली उच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं जो इस मुद्दे से निपटते है भारत में एलजीबीटीक्यू अधिकारों की न्यायिक जांच से पता चलता है कि विधायी के विपरीत जो पिछड़ गया है इस मुद्दे पर न्यायालय ने हाल के वर्षों में अग्रणी भूमिका निभाई है। विशेषकर पिछले दस वर्षों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए जिससे इसे स्वीकार करने का रास्ता साफ हो गया वंचित समूह के मौलिक अधिकार, इस मुद्दे को संभालने में सांसदों की अक्षमता उजागर होती है संसद की रूढ़िवादी संरचना जिसका उदार न्यायपालिका को सामना करना पड़ा। कुछ मामले सबसे महत्वपूर्ण है।

भारत संघ बनाम न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) के.एस. पुट्टस्वामी – इस फैसले के अनुसार निजता के अधिकार को जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के एक घटक के रूप में मान्यता दी अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत, गोपनीयता किसी व्यक्ति के अस्तित्व का एक अनिवार्य पहलू है और सभी के लिए

उपलब्ध है लिंग या यौन रुझान की परवाह किए बिना। एलजीबीटीक्यू समुदाय को निजता का अधिकार होना चाहिए जिसमें शामिल हैं सरकारी हस्तक्षेप से स्वायत्तता और स्वतंत्रता, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने फैसले में कहा। एक विशिष्ट फ्रीडम और ऑटोन पर अवलोकन किया गया वैवाहिक कानून स्थापित करने वाला भारतीय विधान इस फैसले के अनुसार जिसने निजता के अधिकार को जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के एक घटक के रूप में मान्यता दी।

भारत में विवाह संबंधी कानून :

1. भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872
2. पारसी विवाह एंव विवाह विच्छेद अधिनियम 1936
3. विशेष विवाह अधिनियम 1954
4. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955
5. इस्लामिक वैक्तिगत विधि

निष्कर्ष– भारतीय समाज संस्कृति प्रधान समाज है भारतीय संस्कृति मे प्रत्येक समुदाय हिन्दु, मुस्लीम, सिख, ईसाई विवाह को एक पवित्र बन्धन के रूप मे मान्यता देते है विवाह को एक ऐसा सम्बन्ध मानते है जो कि एक स्त्री और पुरूष के बीच ही स्थापित हो सकता है। क्योंकि विवाह का उद्देश्य जहा एक और सामाजिक जीवन का निर्वहन है वही दुसरी और सन्तती की उत्पत्ती भी है। अत: इन दोनो उद्देश्यो की पूति केवल और केवल स्त्री और पुरूष के बीच वैवाहिक सम्बन्ध को मान्यता से ही संभव है। इसलिए भारतीय समाज समलैंगिक सबंधों एवं समलैंगिक विवाहो को भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं मानता है।

वैश्विक परिदृश्य में देखने पर वर्तमान मे जो घटित हो रहा है। उसके अनुसार पश्चिमी समाज समलैंगिक संबंधों की मान्यता की ओर बढ रहे है। कुछ पश्चिमी देशो के द्वारा समलैंगिक विवाहो को मान्यता भी प्रदान कर दी गई है किन्तु भारत में वर्तमान स्थिति मे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है किन्तु भारत में समलैंगिक विवाह को अभी भी कानूनी मान्यता प्रदान नहीं की गई।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. एआइआर 2018 एससी 4321, 2018
2. सुप्रियो उर्फ सुप्रिया चक्रवर्ती और अभय डांग बनाम। भारत संघ तृ. इसके सचिव, कानून और न्याय मंत्रालय और अन्य जुड़े मामले 2023
3. रूथ वनिता लव्स रीट: भारत और पश्चिम में समलैंगिक विवाह पृष्ठ। 6,2005
4. आबगफिल बनाम। होजेस 576 यू. एस. 644,2015
5. एआईआर 2018 एससी 4321, 2018, 10 एससीसी 1
6. सलाम जू, 'एम्परर विद फॉइबल्स' द हिन्दू 15 फरवरी 2014
7. ओझा पी, समलैंगिक विवाह मौलिक अधिकार नहीं है: दिल्ली एचसी लॉ टाइम्स जर्नल, 25 फरवरी ,2021
8. राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण एनएएलएसए बनाम। भारतीय संघ एआईआर 2014 एससी 1863
9. अभिजीत अय्यर मित्रा बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य, 3 फरवरी 2022

****